

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 213/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

बुद्ध मुण्डा
फ्रांसिस कन्डीर

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	--

02.12.20

आदेश


आवेदक बुद्ध मुण्डा पिता स्व० सनिका मुण्डा ग्राम-बान्दे, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने फ्रांसिस कन्डीर पिता स्व० मार्टिन कन्डीर ग्राम-टिंगरिया, पोस्ट-सरवदा, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
बान्दे	41	23	472	0.07

अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 807 दिनांक 01.12.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।